अनुदान संख्या 73 – योजना मंत्रालय
GRANT No. 73 - MINISTRY OF PLANNING

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	252,09,00	279,37,00	258,56,98	-20,80,02
पूरक	Supplementary	27,28,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				17,94,04
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		43,00	37,52	-5,48
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				5,47

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹2080.02 लाख) जुलाई, 2017 और दिसंबर, 2017 में प्राप्त किए ₹2728.00 लाख के पूरक अनुदान का 76 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 7 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹2080.02 lakhs) constituted 76 percent of the supplementary grants of ₹2728.00 lakhs obtained in July, 2017 and December, 2017 and 7 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	7360.00			
पू.	S.	1.00	6766.33	6742.04	-24.29
पु.	R.	-594.67			

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services				
मू.	O.	17849.00			
पू.	S.	2727.00	19376.63	19114.94	-261.69
पु.	R.	- 1199.37			

(I) मुख्य शीर्ष "3475" – "अन्य व्यय – नए कार्यक्रम – केन्द्रीय योजना" – ₹11550.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2726.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹14276.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो ₹343.98 लाख की सीमा तक विज्ञापनों, नीति आयोग की रिपोर्ट के मुद्रण के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और पुरस्कारों को अंतिम रूप देने में विलंब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Under Major Head "3475" - "Other Expenditure - New Programmes - Central Plan"- the original provision of ₹11550.00 lakhs was augmented to ₹14276.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2726.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹343.98 lakhs - due to requirement of less funds towards advertisements, printing of reports of NITI Aayog and delay in finalization of awards.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "नीति आयोग – मुख्यालय" के अंतर्गत ₹580.16 लाख की बचत (₹7180.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बच्चों की शिक्षा भत्तों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने एवं कम दौरे किए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "NITI Aayog-Headquarters"- saving of ₹580.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7180.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards children education allowance, less tours undertaken and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) मुख्य शीर्ष "3475" – "अन्य व्यय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(III) Under Major Head "3475" - "Other Expenditure" - savings occurred under the following heads:-

(का) "बीई 2014–15 से (एसओपीएस, ईपीपी (आईसी), आरएंडएस, पीएफएआर, यूएनडीपी – एचडीबीआई, यूएनडीपी – एससीडीपी देयताएं सहित चालू कार्यक्रम और स्कीमें" – ₹755.05 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3908.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, यात्रा भत्तों संबंधी कम दावे प्राप्त

(A) "Ongoing Programme and Schemes including Liabilities from BE 2014-15 (SOPS, EPP(IC), R&S, PFAR, UNDP- HDBI , UNDP-SCDP]" - saving of ₹755.05 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3908.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to

होने एवं शोध अध्ययन/संगोष्ठियों का संचालन कम होने के कारण हुई।

(खा) "अन्य संबद्ध कार्यालय – स्वायत्त निकाय" – ₹361.16 लाख की बचत (₹1650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, क्षेत्र इकाइयों को बंद करने एवं वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

non-filling up of vacant posts, receipt of less claims towards travelling allowance and conduction of less Research Studies/Seminars.

(B) "Other Attached Offices - Autonomous Bodies" - saving of ₹361.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1650.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, closure of field units and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.